बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०–17/विविध 1–05/2026 – 958(17) **पटना, दिनांक :–** 03/08/**2026**

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–288(17) दिनांक–05.03.2026 द्वारा राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई की गयी है।

2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 जो दिनांक–30.06.2025 से प्रभावी है, के अनुसार सीनियर रेजिडेन्ट के पद हेतु निम्नांकित अर्हत्ता निर्धारित है :–

(क) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी या डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड में स्नातकोत्तर डिग्री; या

(ख) एनाटॉमी या बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी या फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के चिकित्सा विषयों में मास्टर ऑफ साइंस के साथ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में स्नातकोत्तर चिकित्सा की डिग्री।

3. विदित हो की सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन उक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के प्रभावी होने के उपरान्त प्रकाशित किया गया है। फिजियोलॉजी विभाग के अन्तर्गत अनुशंसित M.Sc. डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के संबंध में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना के द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अद्यतन प्रावधानों के आलोक में इनके पास Ph.D की डिग्री नहीं है।

4. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों के पास Ph.D की डिग्री नहीं होने के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आलोक में विभागीय पत्रांक– 629(17) से 631(17) दिनांक–02.06.2026 द्वारा सभी संबंधित अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हत्ता उनके पास है अथवा नहीं, के संबंध में साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में अभ्यर्थी–शुभम कुमार सिंह एवं निखिल राज द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पास सिर्फ M.Sc. मेडिकल फिजियोलॉजी की डिग्री है, वे Ph.D. डिग्रीधारी नहीं है एवं अन्य अभ्यर्थी–अनुषा कुमारी के द्वारा निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया गया।

5. पुनः विभागीय पत्रांक–820(17) से 822(17) दिनांक–13.07.2026 द्वारा सभी संबंधित अभ्यर्थियों से सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के अनुरूप निर्धारित शैक्षणिक अर्हत्ता नहीं होने के आलोक में उनकी नियुक्ति क्यों नहीं रद्द कर दी जाय, के संबंध में प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया, जिसके आलोक में अभ्यर्थी–शुभम कुमार सिंह एवं निखिल राज द्वारा कोई संतोषजनक प्रतिवेदन/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं अन्य अभ्यर्थी–अनुषा कुमारी के द्वारा निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया गया है।

6. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन (वर्ष–2025 (II)) की कंडिका–07 (ix) में अंकित है कि "अगर भूलवश किसी आवेदक/उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में आने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और अगर इस भूल का पता मेधा सूची में सम्मिलित होने के बाद या नियुक्ति के उपरान्त चलता है तो वैसे उम्मीदवार को मेधा सूची में

(03)

सम्मिलित होने के बावजूद भी नियुक्ति में वंचित कर दिया जायेगा या नियुक्ति के उपरान्त भी सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा। इस संबंध में आवेदक उम्मीदवार का दावा/अधिकार अमान्य होगा।

7. अतः उक्त के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–288(17) दिनांक–05.03.2026 द्वारा फिजियोलॉजी विभाग के अन्तर्गत सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित निम्नांकित M.Sc. डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की अर्हत्ता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के उक्त प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण नियुक्ति रद्द की जाती हैः–

Sr. No	Reg No	Name	D.O.B	Posting Place
1	2511218000689	ANUSHA KUMARI	25.02.1994	GMC, BETTIAH
2	2511218000396	SHUBHAM KUMAR SINGH	07.07.1995	GMC, BETTIAH
3	2511218000457	NIKHIL RAJ	15.01.1996	JNKTMCH, MADHEPURA

8. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(मृणायक दास)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–17/विविध1–05/2026–958(17) **पटना, दिनांक** :–03/08/**2026**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया/जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री अनिल कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/08/2026
सरकार के अपर सचिव।